

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

फेसबुक पर माननीय मुख्यमंत्री व धार्मिक मन्दिर व माता कौशिल्या व प्रभू श्रीराम के चरित्र के ऊपर
अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.8.2020 वादी मुकदमा गोपाल जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी कटरा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर सूचना दिया गया कि अभियुक्त द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री व बीजेपी पार्टी व धार्मिक मन्दिर व माता कौशिल्या व प्रभू श्रीराम के चरित्र के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करके फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। वादी द्वारा दिये गये सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त मुहम्मद ऊमर पुत्र शमसुलहसन निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 154/20 धारा 295ए , 505 (2) , 504,506 भा.द.वि. पंजीकृत है।

आज दिनांक 29.9.020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व मे उ.नि. नागेश चौधरी मय हमराह द्वारा पर मु0अ0सं0- 154/20 धारा 295ए, 505 (2) , 504,506 भा.द.वि.से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त मुहम्मद ऊमर पुत्र शमसुलहसन निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को ग्राम गजहडा काशीराम आवास के पास से समय 09.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 154/20 धारा 295ए, 505 (2) , 504,506 भा.द.वि.थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

मुहम्मद ऊमर पुत्र शमसुलहसन निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. नागेश चौधरी थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
2. का0 तेजबहादुर यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़
3. का0 अमित कुमार सिंह थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़